



म.प्र उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर

फॉर्म- डी

अस्वकृति आदेश

(कृपया नियम 4(2) देखें)

No.RTIA/DR-HCIND/ 1945

Indore, Dated 29.08.2017

द्वारा,

डिप्टी रजिस्ट्रार,

राज्य लोक सूचना अधिकारी,

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर

प्रति,

श्री श्याम गोमे,

पिता श्री रामप्रसाद गोमे,

10, सुख शांति नगर,

इन्दौर (म.प्र.)

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचनाओं को प्रदान के संबंध में अधिसूचना को संबोधित करने के लिए कृपया आपका आवेदन दिनांक 26.08.2017 जो कि हमारे आई. डी. संख्या 38/2017-18 में पंजीकृत है तथा आवक क्र. 2428 दिनांक 29.08.2017 के माध्यम से देखें। यह कि, आपके द्वारा वांछित जानकारी निम्नलिखित कारणों से प्रदान नहीं की जा सकती है :-

1. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 28 (1) के तहत मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के सक्षम प्राधिकारी ने उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश नियम (सूचना का अधिकार) 2006 घटित किया है जिसके नियम 7 (1)के अनुसार एक नागरिक आवेदक को 50/- रु शुल्क का भुगतान गैर न्यायिक टिकट या ट्रेजरी चालान-रूप में तथा फॉर्म 'ए' पर आवेदक की स्वयं की साक्षात्कृत तस्वीर चिपकाना आवश्यक है लेकिन आपने फॉर्म नंबर ए में आवेदन नहीं प्रस्तुत है और आप तस्वीर प्रमाणित करने में भी विफल रहे हैं और 50 रु. भारतीय गैर-न्यायिक स्टैम्प को संलग्न करने के बजाय आपने दो भारतीय पोस्टल ऑर्डर नं 15AA 110855 रु 5/- एवं 15AA 110856 रु 5/- प्रस्तुत कुल रु 10/- किये है।
- 2- मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय नियम 2006 के नियम 3 (1) के अनुसार हर आवेदन केवल सूचना के एक विशेष मद के लिए किया जाएगा, जबकि आपके द्वारा कई सूचनाएं मांगी गई हैं।
- 3- सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1)(बी) के अनुसार आवेदन में स्पष्ट और विशिष्ट विवरण नहीं दिए गए हैं और विवरण आपके द्वारा निर्दिष्ट नहीं हैं।
4. इसके अलावा इस तरह की जानकारी अधिनियम के तहत नहीं दी जा सकती क्योंकि यह वांछित प्रारूप में मौजूद नहीं है जैसा कि लागू किया गया है और अधोहस्ताक्षकर्ता आवेदक की इच्छा के अनुसार सूचनाओं को बना नहीं सकता है।

सूचना अधिनियम 2005 के अधिकार के अनुभाग 19 के अनुसार आप इस आदेश के 30 दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकारी (प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ) को अपील कर सकते हैं।

(रजिशा शर्मा)
डिप्टी रजिस्ट्रार/
राज्य लोक सूचना अधिकारी